AS(5)

3(1)साप्र/5/2014

8/1/2014

315463
9-1-14

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक 12 (3) राज/वाद/99

जयपुर, दिनांकः 01-01-2014

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख शासन सचिव,
समस्त शासन सचिव,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की ओर से प्रकरणों में अनुपस्थिति को समय – समय पर अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाता रहा है। इस विभाग के आदेश क्रमांक प.9(4)राज/वाद/88 दिनांक 17.12.13 के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में राजस्थान राज्य की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त सर्वश्री मनीष सिंघवी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, सुश्री प्रगति निखरा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एंव श्री अमित भण्डारी,पैनल लॉयर के त्याग पत्र स्वीकृत किये जा चुके हैं, एंव उक्त आदेश की प्रतियॉ सभी प्रशासनिक विभागों को इस कार्यालय द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/ जोधपुर में राज्य पक्ष की पैरवी हेतु अभी तक नये अधिवक्तागण की नियुक्ति नहीं हो सकी है।

315465/DCS/2014 8/1/2014

JS(GAD)

अतः माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली व राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/ जोधपुर में आपके विभाग से संबंधित प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी /उपस्थिति सुनिश्चित करें व माननीय उच्चतम न्यायालय / माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/ जोधपुर में अपने विभागीय प्रभारी अधिकारियों को उपस्थित होने व पैरवी सुनिश्चित किये जाने के निर्देश देवें, ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय जयपुर/ जोधपुर में राज्य पक्ष की उपस्थिति व पैरवी सुनिश्चित हो सके। अनुपस्थिति के कारण यदि माननीय न्यायालय द्वारा कोई विपरीत आदेश पारित किया जाता है तो उसका दायित्व संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव का होगा।

7-1-14

8/1/14

(राजीव महर्षि)
मुख्य सचिव,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–5)विभाग

क्रमांकः प.3(1)साप्र/5/2014

जयपुर, दिनांकः 9-1-14

प्रतिलिपिः–प्रभारी अधिकारी एवं प्रबंधक, समस्त विश्राम भवन, राजस्थान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(मुन्ना लाल शर्मा) 9/1/14
सहायक शासन सचिव